

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी
जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263145

अल्पकालीन निविदा-प्रपत्र

निविदा सं:

: निविदा शुल्क ₹ 2,000 + जी0एस0टी0 18% प्रति निविदा अतिरिक्त
निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 23.05.2024 से 04.06.2024 कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक 05.06.2024 अपराह्न 1.00 बजे तक फार्म निदेशालय हल्दी
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक 05.06.2024 अपराह्न 3.00 बजे फार्म निदेशालय हल्दी

विश्वविद्यालय फार्म पर लगभग 362.59 हैं। मूमि वास्तविक पैमाईश के आधार पर कृषि कार्य हेतु तीन वर्ष (माह जून 2024 से मई 2027) तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर देने हेतु दरें ₹ प्रति हैं।/प्रतिवर्ष दर्शानी होगी :-

क्र0सं0	लॉट सं0	खण्ड	खेत सं0	क्षेत्रफल (हेक्टर)	दर प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर	
					अंकों में (₹)	शब्दों में (₹)
हल्दी प्रक्षेत्र (तीन वर्ष हेतु)						
1.	1	एच	128	15.45		
	2	एच	129	13.80		
	3	एच	134, 135, 137	29.30		
	4	सी	रेलवे स्टेशन के पीछे	15.00		
(अ) योग					73.55	
बैनी प्रक्षेत्र (तीन वर्ष हेतु)						
2.	5	ओ	264, 265, 281	13.23		
	6	क्यू	307, 308, 309, 310, 311	24.50		
	7	एस	340, 341, 345	37.20		
	8	टी	377-78, 380, 381, 382	33.00		
(ब) योग					107.93	
मटकोटा प्रक्षेत्र (तीन वर्ष हेतु)						
3.	9	बी	27, 28	37.00		
	10	बी	29, 30, 31	36.91		
	11	सी	37, 38	36.40		
	12	सी	39, 40	33.00		
	13	सी	45, 46, 47, 48, 55, 59	37.80		
(स) योग					181.11	
कुल योग (अ + ब + स)					362.59	

मैंने निविदा की शर्तों परिशिष्ट-I (01 से 43 तक) का भली-भांति अध्ययन कर लिया है, सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

धरोहर धनराशि ₹ बैंक डाप्ट/बैंकर चैक सं. दिनांक

“जो गोबोपन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम” देय संलग्न कर दिया है।

संलग्नक: परिशिष्ट I

बैंक ड्राफट / एफ0डी0आर0 सं0.....
दिनांक.....
धनराशि ₹

निविदाता के हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पिता/पति का नाम.....
ग्राम व पो0.....
तह0..... जनपद.....
पिन..... दूरभाष.....
पैन नं0 आधार कार्ड नं0


निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी

जिला-ज़मीन सिंह नगर, पिन-263145

अल्पकालीन निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पन्तनगर विश्वविद्यालय फार्म पर लाइसेंस शुल्क के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए बाह्य ठेकेदारों/एजेन्सियों/उत्तराखण्ड में पंजीकृत कृषि कार्य में जुड़ी संस्थायें/भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप/विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्टार्टअप/उत्तराखण्ड के मूल निवासी/स्थायी निवासी/स्वयं सहायता समूह एवं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को भी कृषि कार्य हेतु भूमि दिये जाने हेतु निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें:-

1. (अ) निविदा के अनुरूप सफल निविदादाता अनुबन्ध में अनुसार द्वितीय पक्ष होंगे तथा नियंत्रक गोब०पन्त क० एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर प्रथम पक्ष होंगे।
(ब) निर्धारित निविदा प्रपत्र फार्म मुख्यालय, पो० हल्दी, जिला-ज़मीनसेंहनगर (उत्तराखण्ड) से ₹ 2000.00 (₹ दो हजार +18% जी०एस०टी०) बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर दिनांक 23.05.2024 से दिनांक 04.06.2024 तक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउन लोड कर प्रयोग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 2000 (₹ दो हजार +18 % जी०एस०टी०) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "गोब०पन्त क० एवं प्रौ० विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम" देय हो अदा करने पर ही निविदा प्रपत्र वैध माना जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये गये पूर्ण निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करना पूर्णतया निविदादाता का दायित्व होगा।
2. यह है कि एक निविदादाता द्वारा एक से अधिक निविदा एक ही लॉट के लिए विश्वविद्यालय फार्म द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. यह है कि किसी भी परिस्थिति में कोई संशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. (अ) यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा को बन्द लिफार्फे में बन्द करके जो मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, हल्दी को सम्बोधित करना होगा। निविदाओं को फार्म मुख्यालय में रक्षित पेटी में दिनांक 05.06.2024 अपरान्ह 1.00 बजे तक स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपरिथित होकर अथवा डाक/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नियत तिथि एवं समय के बाद अथवा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदायें दिनांक 05.06.2024 को समिति द्वारा अपरान्ह 3.00 बजे उपरिथित निविदादाता के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी। एक निविदा के साथ एक निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि ही उपरिथित हो सकते हैं। तथा निविदा डालने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनको प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। निविदाओं के खोले जाने के समय विजित फार्म मुख्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा एवं द्वितीय पक्षों को अपने मोबाइल बन्द रखने होंगे।
(ब) निविदादाता को निविदा के साथ पैन नं० एवं आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. यह है कि विश्वविद्यालय फार्म भूमि को कृषि कार्य उपयोग करने हेतु निविदा की दरें प्रक्षेत्र की लॉटवार अलग-अलग देनी होंगी। भूमि के जो लॉट बनाये गये हैं उसी के अनुसार प्रत्येक लॉट के लिए प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष दर दर्शानी होंगी। निविदादाता को निविदा पत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पैज़ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के लिए निविदादाता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम दर पर निर्णय लॉटवार होगा। निविदादाता को अंकों एवं शब्दों में हिन्दी/अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में धनराशि अंकित करनी होगी।
6. (अ) यह है कि निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त अवधि की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत धनराशि की दर से धरोहर राशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/एफ०टी०आर० (जो गोब०पन्त क० एवं प्रौ० विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम पर देय हो), के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि एवं कम धरोहर राशि होने पर निविदायें निरस्त कर दी जायेंगी। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में धरोहर राशि समान्यतया 20 कार्य दिवसों में वापस कर दी जायेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का समायोजन भूमि शुल्क के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि या खेत खाली कर पूर्व स्थिति में कब्जा देने तथा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर विश्वविद्यालय फार्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(ब) यह है कि निविदादाता को प्रत्येक लॉट हेतु कुल धनराशि का 03 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि पूर्णरूपेण जमा करना आवश्यक होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा सुरक्षा धनराशि कम संलग्न की जाती है तो उस निविदा को निरस्त की जायेंगी।
7. यह है कि किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति जी को होगा।
8. यह है कि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
9. यह है कि निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित सहायक निदेशक/महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) फार्म से सम्पर्क कर सम्बन्धित खेत (जो है जहां है जैसा है की स्थिति में) का निरीक्षण कर सकते हैं। बाद में भूमि की बनावट या पानी की उपलब्धता या कोई अन्य आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2024

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक: 2024
क्रमांक-.....2

10. यह है कि शुल्क पर दी जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण जैसे प्लॉट संख्या, खण्ड का नाम, क्षेत्रफल हैक्टेयर में, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न रहेगा।
11. यह है कि भूमि/खेत लाइसेंस शुल्क पर माह जून 2024 से माह मई 2027 तक की अवधि के लिए दिये जायेंगे।
12. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा पर ली गई भूमि से सम्बन्धित सिंचाई विभाग द्वारा अगर आवापाशी (Irrigation Charges) मांगी जाती है तो वह ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से देय होगी अर्थात् ठेके की धनराशि के अतिरिक्त होगी। फार्म पर उपलब्ध सिंचाई के साधनों का प्रयोग निर्धारित शुल्क जूँ विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर होगा, अलग से जमा करने पर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। सिंचाई की सुविधा देना तभी सम्भव होगा जब विश्वविद्यालय को अपने खेतों में सिंचाई के साधन की आवश्यकता न हो परन्तु सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर पर भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई हेतु किये जाने की दशा में कुल लाइसेंस शुल्क का 0.5 प्रतिशत भुगतान लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त द्वितीय किश्त के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसका उल्लेख अदेयता प्रमाण-पत्र पर भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
13. यह है कि निविदा स्वीकृत होने के बाद एवं आवंटित भूमि के कब्जे से पूर्व द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाणपत्र तथा अपने मूल निवास के पुलिस स्टेशन/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं का चरित्र प्रमाण-पत्र (जो कि छह माह से अधिक पुराना नहीं हो) जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड नम्बर एवं वर्ष का आय कर जमा करने का प्रमाण आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा। लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर कार्यरत लाइसेंसी के अधीनस्थ कर्मियों/श्रमिकों का पुलिस सत्यापन एवं चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र कब्जा प्राप्त करते समय जमा करना होगा एवं अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराकर प्रक्षेत्र कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। बिना पहचान पत्र के किसी कर्मी का फार्म प्रक्षेत्र में प्रवेश वर्जित होगा।
14. यह है कि निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता को सम्पूर्ण धनराशि पॉच किश्तों में निम्नांकित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी। प्रथम किश्त का भुगतान समयानुसार करने पर ही भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।
- अ— प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 30 प्रतिशत) स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर बैंक ड्राफ्ट अथवा R.T.G.S. के माध्यम से जमा करनी होगी।
- ब— दूसरी किश्त (कुल मूल्य का 20 प्रतिशत) 15 दिसम्बर 2024 तक जमा करनी होगी।
- स— तीसरी किश्त (कुल मूल्य का 20 प्रतिशत) 30 अप्रैल 2025 तक जमा करनी होगी।
- द— चौथी किश्त (कुल मूल्य का 15 प्रतिशत) 15 दिसम्बर 2025 तक जमा करनी होगी।
- य— पाँचवीं तथा अन्तिम किश्त (कुल मूल्य का 15 प्रतिशत) 30 अप्रैल 2026 तक जमा करनी होगी।

14 (क)— बिन्दु संख्या (अ) में वर्णित किश्त की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, ई-बैंकिंग/NEFT द्वारा साथी विश्वविद्यालय फार्म खाते में जमा करना होगा।

(छ)— बिन्दु संख्या (ब, स, द, एवं य) में वर्णित किश्तों की धनराशि के देय नियत तिथि सहित पी०डी०सी० बैंक (पोस्ट डेटेड बैंक) निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के समय जमा करना होगा। निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय फार्म को उपलब्ध कराये गये पी०डी०सी० बैंक में देय अंकित तिथि से 15 दिन के अन्दर पी०डी०सी० बैंक बैंक में जमा कराया जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी बैंक की धनराशि बैंक में निविदादाता के हस्ताक्षर न मिलने तथा सम्बन्धित खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण बैंक बाजन्स होता है तो निविदा एवं अनुबन्धक की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विलद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा निविदा एवं अनुबन्ध बैंक बाजन्स होने की तिथि से तकाल निरस्त माना जायेगा। निविदा/अनुबन्ध निरस्त होते ही निविदादाता को दी गयी कृषि कार्य हेतु भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा। जिसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(ग)—यह है कि द्वितीय पक्ष (निविदादाता) किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश एवं उत्पादित फसल के पकने की स्थिति में किसी भी किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करने में असमर्थ रहता है तो निविदादाता के लिखित अनुरोध पर मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म द्वारा विचारोपरान्त नियत अवधि में अधिकतम एक माह की वृद्धि की जा सकती है तथा एक माह से अधिक के लिए सक्षम अधिकारी (कुलपति जी) द्वारा वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए द्वितीय पक्ष को देय राशि पर प्रारम्भ देय तिथि से 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 2.00 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किश्तों का देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त के धनराशि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ)—यह है कि द्वितीय पक्ष को लाइसेंस स्वीकृत होने व एवं प्रथम किश्त का भुगतान करने के बाद सम्बन्धित भूमि पर कृषि कार्य करने से पूर्व आगामी एक किश्त की धनराशि के बराबर की धनराशि की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंकर बैंक/एफ०डी०आर०/बैंक गारंटी जो विश्वविद्यालय फार्म के हक में बन्धक हो जमा प्रस्तुत करनी होगी, जो 7 माह की अवधि अर्थवा आगामी फसल की बुवाई से पूर्व की अवधि, जो भी कम हो, तक प्रमाणी होगी।

.....

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2024

.....
हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक: 2024

(ङ)- यह है कि यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुसूचि अवधि में लाइसेंस शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है तो विश्वविद्यालय फार्म द्वारा लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि के अनुबन्ध को समाप्त करने हेतु विधिक नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित भूमि पर तत्काल प्रभाव से जो है जैसा है की स्थिति के साथ विश्वविद्यालय फार्म द्वारा कुलपति जी से स्वीकृति उपरान्त स्वतः ही कृषि कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।

15. निविदादाता को निविदा की शर्त 14 में वर्णित किस्तों का भुगतान आर०टी०जी०एस०/द्वापट के माध्यम से विश्वविद्यालय फार्म के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. यह है कि द्वितीय पक्ष को कृषि कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वित्त नियंत्रक के साथ ₹ 100.00 के नानजुडिशयल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा उसे नोटरी से सत्यापित करना होगा। यह अनुबन्ध निविदा स्वीकृत होने पर द्वितीय पक्ष एवं वित्त नियंत्रक, विश्वविद्यालय पत्तनगर के मध्य होगा एवं निविदा स्वीकृत होने पर 15 दिन के अन्दर देय 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने के साथ द्वितीय पक्ष के व्यय पर पूर्ण करना होगा तथा उक्त अनुबन्ध प्रपत्र को रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करना आवश्यक होगा। पंजीकृत कराये जाने की पूर्ण प्रक्रिया द्वितीय पक्ष निविदादाता द्वारा उसके पूर्ण खर्च पर की जानी होगी। अनुबन्ध पूर्ण न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा द्वितीय पक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
17. यह है कि द्वितीय पक्ष को भूमि की जुटाई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई, सुरक्षा, चौकीदारी आदि सभी कृषि कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। भू-खण्ड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क पर किया जा सकेगा तथा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी नयी सुविधा का सृजन विश्वविद्यालय फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर आवंटित भूमि में अथवा आस-पास विश्वविद्यालय फार्म की अन्य भूमि में किसी भी दशा में कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य यथा खोखा लगाना, जानवर पालन आदि कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसा होने की दशा में 15 दिन का नोटिस देने के उपरान्त लाइसेंस निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि एवं अन्य धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
18. यह है कि द्वितीय पक्ष/लाइसेंसी अथवा उसका कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। यदि लाइसेंसी अथवा उसका कोई कर्मचारी किसी असामाजिक व गैरकानूनी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त करते हुए लाइसेंस को निरस्त कर कृषि कार्य किये जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
19. यह है कि यदि द्वितीय पक्ष को भूमि के क्षेत्रफल सम्बन्धी कोई आपत्ति होती है तो उसके अनुरोध पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म द्वारा अनुबन्ध निष्पादित होने से पूर्व संयुक्त पैमाइश करायी जा सकती है। अनुबन्ध निष्पादित होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. यह है कि द्वितीय पक्ष/लाइसेंसी को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिक को सेवायोजित करने का अधिकार नहीं होगा। अनाधिकृत नियोजन की स्थिति में विश्वविद्यालय को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति लाइसेंसी को करनी होगी।
21. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी कुल भूमि अथवा उसके किसी भाग की विश्वविद्यालय फार्म को आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में एक माह का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबन्ध को पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है एवं तदनुसार भूमि शुल्क की भुगतान की गयी राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि, यदि कोई हो, तथा खड़ी फसल के मूल्य (तकनीकी समिति के आंकलन के अनुसार) का भुगतान लाइसेंसी को कर दिया जायेगा।
22. यह है कि द्वितीय प्रक्ष को लाइसेंस की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित रास्तों का उपयोग बिना कोई क्षति पहुँचाये करना अनिवार्य होगा। मशीनों आदि के लाने-ले जाने से रास्ते क्षतिग्रस्त होने की दशा में उनकी मरम्मत आदि का व्यय तकनीकी समिति के आंकलन के आधार पर लाइसेंसी को करना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा फार्म के अन्दर अथवा बाहर एवं रास्ते द्वारा कोई उत्पादन नहीं ले जाया जायेगा तथा जो रास्ते फार्म के अन्दर बनाये गये हैं उन्हीं रास्तों का प्रयोग करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष उक्त शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो प्रथम बार ₹ 5,000.00 क्षतिपूर्ती के रूप विश्वविद्यालय फार्म को भुगतान करना होगा तथा उक्त की पुनरावृत्ति किये जाने पर ₹ 10,000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ती के रूप में करना होगा।
23. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि पर/आस-पास यदि पहले से ही विश्वविद्यालय फार्म के श्रमिकों की झोपड़ियां हैं तो लाइसेंसी को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं होगा।
24. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्लाट का क्षेत्रफल नहीं बदला जायेगा एवं पक्की या कच्ची सड़के काटकर कृषि योग्य भूमि में नहीं बदली जायेगी।
25. यह है कि द्वितीय पक्ष को बीज एवं फसल चक्र फार्म प्रशासन से स्वीकृत करना होगा एवं ग्रीष्मकालीन धान की फसल उत्पादन करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। द्वितीय पक्ष को कृषि उत्पादन को बेचने/परिसर से बाहर ले जाने से पूर्व विश्वविद्यालय फार्म से अदेयता प्रमाण-पत्र लेना होगा तथा संबंधित अधिकारी से गेट पास प्राप्त करना होगा।
26. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रक्षेत्र में किसी प्रकार का अस्थायी एवं स्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा।
27. यह है कि द्वितीय पक्ष को दी गई सम्पत्ति जिस स्थिति में दी जायेगी उसे अनुबन्ध समाप्ति पर, प्रक्षेत्र प्रशासन को वापस करना होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसी से की जायेगी।


28. यह कि द्वितीय पक्ष को माह मई 2027 के पश्चात् फार्म में दिये गये खेतों में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा इसके पूर्व ही उसे अपनी फसल, उपकरण इत्यादि फार्म से उठा लेने होंगे और यदि नहीं उठाये जाते हैं तो इन पर फार्म प्रशासन का अधिकार हो जायेगा।
29. यह कि विश्वविद्यालय फार्म द्वारा कृषि कार्य हेतु द्वितीय पक्ष को निर्गत लाइसेंस किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुवांशिकता एवं किसी रिश्तेदारी के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
30. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा लाइसेंस पर दी गयी व अनुबन्ध में दर्शायी गयी भूमि अथवा फार्म की किसी भी भूमि अथवा उसे किसी भाग पर अपने स्वामित्व, कब्जा, आदि का दावा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
31. यह है कि उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लाइसेंसी के अनुरोध पर विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी एवं विद्युत शुल्क के देयकों का भुगतान विद्युत विभाग में जमा करना होगा। लाइसेंसी के आवेदन पर मुख्य महाप्रबन्धक फार्म की संस्थुति के अनुसार आवश्यक विद्युत सुरक्षा धनराशि जमा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा। जमा विद्युत सुरक्षा धनराशि लाइसेंस अवधि समाप्ति पर विद्युत विभाग पन्तनगर से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक /महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही वापसी की जायेगी। यदि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध देय विद्युत शुल्क की धनराशि समय से जमा नहीं की जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति को निरस्त करते हुए विद्युत कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा सकती है। इस पर द्वितीय पक्ष का कोई दावा देय नहीं होगा।
32. यह है कि व्यापार कर, स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स जो नियमानुसार देय होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन करना होगा। लाइसेंस शुल्क पर दी गयी भूमि पर जिस वर्ष स्टाम्प शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाती है तो द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाम्प शुल्क के अन्तर के समतुल्य की धनराशि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी का चालान द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने से पूर्व इस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंस शुल्कदाता की होगी।
33. यह कि द्वितीय पक्ष एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के साथ किये गये अनुबन्ध की समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि में किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा बदलाव की दशा में सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार धरोहर राशि एवं अन्य जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंस निरस्त करते हुए कृषि कार्य की जाने वाली भूमि को विश्वविद्यालय फार्म द्वारा वापस ले लिया जायेगा।
34. यह है कि यदि लाइसेंस शुल्कदाता/उसके कार्यकर्ता द्वारा आवंटित भूमि पर एवं उसके निकटतम् क्षेत्रफल पर जंगली जानवरों से फसल का बचाव करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन द्वितीय पक्ष द्वारा करना अनिवार्य होगा।
35. यह है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा की वैधता समय के दौरान कोई शर्त भंग की जाती है अथवा बदलाव किया जाता है तो “जी एफ आर-2017 के नियम-170” के अनुसार निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त की जायेगी तथा किया गया अनुबन्ध निरस्त कर भूमि वापस ले ली जायेगी।
36. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण एकल पंचाट के रूप में कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला उद्धम सिंह नगर अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। एकल पंचाट का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।
37. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के संबंध में अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार ऊधमसिंहनगर जनपद में निहित होगा।
38. यह है कि लाइसेंस पर दी गयी भूमि के द्वितीय पक्ष को दी जाने वाली भूमि में सम्बन्धित खण्ड अधीक्षक द्वारा तैयार की गयी इच्छेन्द्री की सूची यथा उपलब्ध पेड़, सिंचाई के साधन, पम्प, विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल लाइने एवं अन्य उपकरण आदि को लाइसेंस शुल्कदाता के सुपुर्द रकरा होगा जिसकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तराधिकार लाइसेंस दाता का होगा एवं उक्ता अनुबन्ध की समाप्ति पर लाइसेंस दाता को इच्छेन्द्री की सूची के अनुरूप सभी पेड़ एवं उपकरण आदि विधिवाही फार्म को वापस करना होगा अन्यथा की स्थिति में होने वाली क्षतिपूर्ति लाइसेंस दाता से वसूल की जायेगी।
39. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसलों के बचे हुए अवशेषों को खेत में जलाया जाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा इस प्रकार का कार्य करते हुए पाया जाता है तो निर्गत स्वीकृति पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय फार्म स्वतंत्र होगा एवं इस कृत कार्यवाही हेतु ऐसे लाइसेंस शुल्कदाता पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जा सकती है तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियम के पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
40. यह कि सफल निविदादाता द्वारा उत्पादित फसल पर यदि किसी दैवीय आपदा, मौसम की अनिश्चितता अथवा अन्य किसी कारणों से किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो फसल की सुरक्षा का पूर्ण उत्तराधिकार निविदादाता का होगा। विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2024

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक: 2024
क्रमांक- 5

41. यह कि सफल निविदादाता को दी गयी भूमि के क्षेत्रफल में यदि विश्वविद्यालय फार्म की कोई चल/अचल सम्पत्ति आती है तो उसकी सुरक्षा आदि करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो होने वाली क्षतिपूर्ति का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा नियत समिति के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त सफल निविदादाता द्वारा उसका भुगतान विश्वविद्यालय फार्म को करना होगा। चल/अचल सम्पत्ति की इच्छेन्ट्री का विवरण सम्बन्धित सहायक निदेशक/महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) फार्म द्वारा सफल निविदादाता को भूमि का कब्जा देते समय लिखित रूप से प्राप्त करना होगा एवं लाइसेंस शुल्क की अवधि समाप्त होने पर निविदादाता को उक्त चल/अचल सम्पत्ति को पुनः सम्बन्धित सहायक निदेशक/महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) फार्म को हस्तगत करना आवश्यक होगा।
42. यह कि सफल निविदादाता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के दौरान हरी खाद/गोबर की खाद/जैविक खाद/कम्पोस्ट खाद आदि यथासम्भव प्रयोग करने का प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
43. लाइसेंस शुल्क की अवधि में यदि निविदादाता के किसी कार्मिक को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है या कोई अन्य वाद-विवाद उत्पन्न होता है, जिसमें किसी अन्य (तीसरी पार्टी) को नुकसान पहुंचता है तो इन सबकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए निविदादाता की लाइसेंस शुल्क अवधि में तीसरी पार्टी देयिता (Third party liability) बीमा करवाना आवश्यक होगा।

निविदादाता का नीवनतम् फोटो एवं हस्ताक्षर



हस्ताक्षर

पूरा नाम (आधार व पैन के अनुसार)

पिता/पति का नाम

ग्राम एवं पौo

तह0 जनपद

पिन दूरभाष

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 43 तक) पढ़ ली गयी हैं तथा वह मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर